"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 90] रायपुर, सोमवार, दिनांक 18 मार्च 2013—फाल्गुन 27, शक 1934

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 मार्च 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-30/खाद्य/2011/29.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ विधिक मापविज्ञान तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) सेवा में भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**— (1) ये नियम छत्तीसगढ़ विधिक मापविज्ञान तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2013 कहलायेंगे।

   (2) ये नियम राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं**— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

   (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान छत्तीसगढ़;

   (ख) "बोर्ड" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड;

   (ग) "समिति" से अभिप्रेत है शासन द्वारा अनुमोदित विभागीय पदोन्नति समिति;

   (घ) "परीक्षा" से अभिप्रेत है उक्त नियम के अधीन भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा/सीमित प्रतियोगी परीक्षा;

   (ङ) "सरकार" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ सरकार;

   (च) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

(छ) "विभागाध्यक्ष" से अभिप्रेत है ऐसा अधिकारी जिसे शासन के किसी विभाग से संबंधित किसी विशेष कार्यालय हेतु विभागाध्यक्ष घोषित किया जाये;

(ज) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्र. एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(झ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ञ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(ट) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ठ) "सेवा" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ विधिक मापविज्ञान तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) सेवा;

(ड) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.**—सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात् :—

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किए गए हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**—सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या और उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची-एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा:

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में समय-समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगी।

6. **भर्ती का तरीका.**— (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :—

(क) प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा अथवा मेरिट तथा साक्षात्कार के आधार पर चयन द्वारा;

(ख) छत्तीसगढ़ विधिक मापविज्ञान के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों से सीमित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर पदोन्नति द्वारा जैसा कि अनुसूची-चार में उल्लिखित योजना में विनिर्दिष्ट है;

(2) उप-नियम (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन भर्ती किए गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में यथाविनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची-दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शासन के परामर्श से अवधारित की जाएगी।

(4) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से सेवा में भर्ती के उन तरीकों

को छोड़ जिनको उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किए गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) मेरिट के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा पदों को भरे जाने के लिए, मापदण्ड शासन द्वारा विहित किया जायेगा, तथापि, नियुक्ति प्राधिकारी के लिये यह आवश्यक होगा कि इस प्रयोजन के लिए, एक चयन समिति गठित करे, जो इन मापदण्डों से भिन्न कोई अन्य युक्तिसंगत मापदंड शासन की सहमति से अपना सकेगी।

(6) भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति.**— इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.**— प्रतियोगिता परीक्षा (परीक्षा में प्रतियोगिता)/चयन के लिये पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात् :—

(एक) **आयु**— (क) परीक्षा/चयन के प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची–तीन के कॉलम (4) में विहित आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के नियम 4 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जाएगी:—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी/अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये।

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण (अस्थायी) सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ङ.) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी किया गया हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो:–

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें–

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;

(तीन) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक;

(चार) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं);

(पांच) अवकाश रिक्तियों पर छः मास से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किये गये अधिकारी;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो;

(च) परिवार कल्याण (नियोजन) कार्यक्रम के अधीन ग्रीन कार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग विकास विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों के संबंध में भी सामान्य उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ राज्य/निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान कमीशंड अधिकारियों के संबंध में, उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये, उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टीप– (1) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उपरोक्त खण्ड (घ) के उप–खण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, वे यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेंगी, विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(ट) आयु सीमा के संबंध में, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(ठ) उपरोक्त एक या एक से अधिक संवर्ग के अधीन आयु में छूट दिये जाने के उपरांत शासकीय सेवा हेतु पात्र होने के लिए अधिकतम आयु किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नही होगी।

(दो) शैक्षणिक अर्हता– अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए, जैसा कि अनुसूची–तीन में दर्शित है।

(तीन) फीस–अभ्यर्थी को बोर्ड द्वारा समय–समय पर यथा विहित फीस का भुगतान करना होगा।

9. **निरर्हता.**– अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा में या चयन हेतु उपस्थित होने के लिये उसे (अभ्यर्थी को) निरर्हित माना जा सकेगा।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.**– चयन के लिए अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और कोई भी अभ्यर्थी जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

11. **परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भर्ती.**– (लिपिक वर्गीय कर्मचारीवृन्द से पदोन्नति को छोड़कर)–

(1) बोर्ड पात्र अभ्यर्थियों का चयन करेगा।

(2) सेवा में भर्ती के लिए चयन, ऐसे अंतरालों से किया जायेगा जैसा कि नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान समय–समय पर अवधारित करे।

(3) सेवा के लिये अभ्यर्थियों का चयन, परीक्षा/साक्षात्कार के पश्चात् बोर्ड द्वारा किया जायेगा।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उन अभ्यर्थियों को जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये बोर्ड द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो, उप–नियम (4) के अधीन, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

12. **बोर्ड द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची.**– (1) बोर्ड, उन अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में व्यवस्थित एक सूची जो ऐसे स्तर से अर्हित हों, जैसा कि बोर्ड अवधारित करे तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये बोर्ड द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो, नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान को अग्रेषित करेगा। यह सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जायेगी।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जाएगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(3) सूची में अभ्यर्थियों का नाम शामिल किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिये कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान का ऐसी जांच

करने के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

13. **लिपिक वर्गीय कर्मचारियों से सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति द्वारा सीधी भर्ती.**– (1) निरीक्षक विधिक मापविज्ञान के पदों को विधिक मापविज्ञान के लिपिक वर्गीय सेवा से भरने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुसूची–चार में वर्णित योजना के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जायेगी।

(2) उपलब्ध रिक्तियों को निर्धारित प्रतिशत के अनुसार उन अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखा जायेगा जो क्रमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं।

(3) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 के उप–नियम (1) में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(4) पदोन्नति के लिये सिफारिश किये गये उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची, ऐसे अभ्यर्थी की योग्यता क्रम में व्यवस्थित एक सूची जो ऐसे स्तर से अर्हित हों, जैसा कि अनुसूची–चार में विहित हो तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो, तैयार की जायेगी। यह सूची, उसके अंतिम रूप से तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के लिये प्रवृत्त रहेगी।

(5) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों में पदोन्नति के लिये अभ्यर्थियों के नाम पर उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(6) चयन सूची में अभ्यर्थियों का नाम शामिल किये जाने से ही उसे पदोन्नति के लिये कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में पदोन्नति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

14. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**– चयन सूची में सम्मिलित पदाधिकारियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्ति, उसी क्रम में की जायेगी, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

15. **परिवीक्षा.**– (1) सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

(2) निरीक्षक के पद पर नियुक्त व्यक्ति को, उस पद पर स्थायीकरण हेतु उसका विचार किये जाने के पूर्व, विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 द्वारा स्थापित भारतीय विधिक मापविज्ञान संस्थान से बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करना होगा।

16. **निर्वचन.**– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

17. **शिथिलीकरण.**— इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परंतु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

18. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**— (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये, राज्य शासन द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किये गये निर्देशों/आदेशों के अनुसार दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

अनुसूची—एक
(नियम 5 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान	38	तृतीय श्रेणी (कार्यपालक)	5200—20200 ग्रेड पे—2800	नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान (छत्तीसगढ़)

अनुसूची–दो
(नियम 6 देखिये)

स. क्र.	विभाग का नाम	सेवा/पद का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिषत	
				सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6 (1) (क) देखिये)	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (नियम 6 (1) (ख) देखिये)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	विधिक मापविज्ञान	निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय)	38	75%	25%

अनुसूची–तीन
(नियम 8 देखिये)

स. क्र.	विभाग का नाम	सेवा/पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	विधिक मापविज्ञान	निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय)	18 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी के लिए 35 वर्ष)	(एक) व्यक्ति, किसी मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय से विज्ञान (जिसमें एक विषय भौतिक शास्त्र के रूप में रहा हो) अथवा प्रौद्योगिकी या अभियांत्रिकी में स्नातक हो अथवा वह अभियांत्रिकी में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा धारण करता हो साथ ही तीन वर्ष का व्यावसायिक अनुभव हो, और (दो) क्षेत्रीय भाषा बोलने, पढ़ने और लिखने में समर्थ हो।

टीप– उपरोक्त के अतिरिक्त आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश भी लागू होंगे।

अनुसूची–चार

(नियम 13 देखिये)

लिपिक वर्गीय सेवाओं में से निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान के पदों के लिए सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति के लिए योजना.

1. **शीर्षक**– यह योजना नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान के अधीनस्थ कार्यालयों क लिपिक वर्गीय कर्मचारीवृन्द में से चयन के माध्यम से निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान के प तों पर पदोन्नति के लिए योजना कहलायेगा।

2. **पात्रता**– विधिक मापविज्ञान के लिपिक वर्गीय सेवाओं के केवल ऐसे स स्य इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे जो निम्नलिखित अर्हताएं रखते हों, अथ त्:–

   (एक) सदस्य जो नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान, छत्तीसगढ़, रायपुर के कार्यालय में या छत्तीसगढ़ में कहीं भी उसके अधीनस्थ कार्यालयों में किसी लिपि वर्गीय पद पर कम से कम 5 वर्ष से निरन्तर सेवा करते हुए कार्यरत हों।

   (दो) विभागीय अभ्यर्थियों के लिये, जहां नियुक्ति यदि निरीक्षक, विधि मापविज्ञान के पद पर पदोन्नति द्वारा की गई हो, वहां न्यूनतम शैक्षणिक अर्ह मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय से स्नातक होगी।

   (तीन) सदस्य जो उस वर्ष, जिसमें चयन किया जाना है, की जनवरी प्रथम दिन को 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होगा। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए उस वर्ष, जिसमें चयन किया जा है, की जनवरी के प्रथम दिन को आयु सीमा 50 वर्ष से अधिक की नहीं होगी।

3. **पदोन्नति के लिए चयन**– (एक) इस योजना के अधीन आयोजित परीक्षा अभिप्राप्त अंकों; तथा

   (दो) सम्बधित कर्मचारी के पिछले पांच वर्ष की चरित्रावलियों के आंकल के आधार पर किया जाएगा।

4. **परीक्षा**– (एक) नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक वर्ष या ऐसे अन्तरालों पर, ऐसी ारीखों पर तथा ऐसे स्थानों पर, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी विनिष्चित करे, एक लिखित रीक्षा आये त करेगा।

(दो) लिखित परीक्षा में दो प्रश्नपत्र होंगे जो प्रत्येक 50 अंको के होंगे और जिसकी अवधि ढ़ाई घंटे की होगी। अर्ह होने के लिए अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र में कम से कम 50 प्रतिशत अंक अभिप्राप्त करने होंगे।

(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी या उसके द्वारा निर्देशित प्राधिकारी द्वारा प्रश्न पत्र तैयार कराए जाएंगे तथा जिनमें इस अनुसूची के परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट विषय समाविष्ट होंगे।

(चार) चयन की अंतिम सूची, परीक्षा में अभिप्राप्त कुल अंकों तथा चरित्रावलियों के मूल्यांकन के अनुसार तैयार की जायेगी। निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान के पद में पदोन्नति, उस क्रम जिस क्रम में उनके नाम चयन सूची में आये हों, के अनुसार सूची से 25 प्रतिशत कोटे से की जायेगी।

(पांच) निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान के रूप में पदोन्नत लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की पारस्परिक–वरिष्ठता अंतिम चयन सूची पर आधारित होगी।

5. **परिवीक्षा–** इस योजना के अधीन नियुक्त किया गया प्रत्येक कर्मचारी दो वर्ष की परिवीक्षा पर होगा। इस कालावधि के दौरान उसे निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान के पद के लिए विहित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि परिवीक्षा कालावधि के दौरान कोई कर्मचारी निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान के पद के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो उसे उसके मूल लिपिक वर्गीय पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा। ऐसे प्रत्यावर्तित कर्मचारी की परिवीक्षा की कालावधि के दौरान की गई सेवा की कालावधि लिपिक वर्गीय पद पर उसके द्वारा की गई सेवा की कालावधि के रूप में समझी जाएगी।

प्रथम प्रश्न पत्रः–

सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी तथा प्रारंभिक अंकगणित।

द्वितीय प्रश्न पत्रः–

(1) विभागीय शब्दावली का ज्ञान।

(2) विधिक मापविज्ञान (प्रवर्तन) अधिनियम, 2009 तथा इसके अधीन बनाये गये नियम के स्तर का ज्ञान तथा मैट्रिक सिस्टम के बारे में भी ज्ञान।

(3) प्रश्न पत्रों के लिये पाठ्यक्रम वह होगी जो इसके (इस नियम के) साथ संलग्न परिशिष्ट एक में वर्णित है।

(4) केवल ऐसे कर्मचारी जो उपरोक्त पैरा 2 में वर्णित योग्यता पूरा करते हैं परीक्षा में शामिल होने के लिये पात्र होंगे। परीक्षा में शामिल होने की वांछा रखने वाले कर्मचारियों से परीक्षा के लिये निर्धारित तिथि के कम से कम एक माह पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी या उसके द्वारा निर्देशित प्राधिकारी के द्वारा आवेदन आमंत्रित किया जायेगा तथा उनमें से केवल वे कर्मचारी जो परीक्षा में शामिल होने के लिये पात्र पाये गये हैं को परीक्षा के दिनांक, समय तथा स्थान की सूचना दी जायेगी।

(5) उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा या उसके द्वारा निर्देशित प्राधिकारी द्वारा नामांकित विधिक मापविज्ञान अधिकारी द्वारा किया जायेगा। कर्मचारी, जो प्रत्येक प्रश्न पत्र में कुल अंकों के 50 प्रतिशत या अधिक अंक अभिप्राप्त करता हो, की सूची पृथक से तैयार की जायेगी।

6. चरित्रावली का आंकलन तथा चयन की अन्तिम सूची–

(एक) उन कर्मचारियों की, जिनके नाम उपरोक्त पैरा (4) के अनुसार तैयार की गई सूची में आये हैं, पांच वर्षों की गोपनीय चरित्रावली का आंकलन विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किया जाएगा।

(दो) प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रत्येक वर्ष की चरित्रावली के लिए 20 अंकों में से निम्नलिखित आधार पर अंक समनुदेषित किए जाएंगे:–

उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	20
	अच्छा	15
	सामान्य	10

(तीन) चरित्रावली के आधार पर प्रत्येक अभ्यर्थी को समनुदेषित किए गए कुल अंक, परीक्षा में उसके द्वारा अभिप्राप्त अंकों के सामने लिखे जाएंगे तथा योग निकाले जाएंगे।

परिशिष्ट

प्रश्न पत्रों का पाठ्यक्रम

प्रथम प्रश्न पत्र:

(एक) सामान्य ज्ञान (15 अंक)

वर्तमान घटनाओं से संबंधित सामान्य जानकारी पर आधारित प्रश्न, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, छत्तीसगढ़ के बारे में सुसंगत घटनायें और सामान्य जानकारी।

(दो) सामान्य हिन्दी (15 अंक)

10–12 पंक्तियों के संक्षेप पर आधारित लघु प्रश्न, समरूप शब्दों के भिन्न–भिन्न अर्थ या कतिपय विषय पर लगभग 150 शब्दों में निबन्ध।

(तीन) प्रारम्भिक अंकगणित (20 अंक)

निम्नलिखित पर प्रश्न बनाए जा सकेंगे:—

गुणा, भाग, दशमलव, भाग (फ्रैक्शन), प्रतिशत, लाभ तथा हानि, औसत, क्षेत्रफल, परिमाप, समपात–अनुपात (रेश्यों–प्रपोर्शन)।

द्वितीय प्रष्न पत्र:

(एक) शासकीय नियमों का ज्ञान (20 अंक)

वेतन, भत्ता, अवकाश, सामान्य भविष्य निधि योजना से संबंधित नियमों के परिचायक ज्ञान पर आधारित प्रश्न, सेवा में भर्ती के नियमों का सामान्य ज्ञान, शासकीय सेवक के आचरण से संबंधित नियमों का परिचायक ज्ञान।

(दो) विधिक मापविज्ञान अधिनियम का ज्ञान (30 अंक)

विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 तथा उसके अधीन बनाए गये नियमों के स्तर का ज्ञान तथा मैट्रिक सिस्टम (दशमलव प्रणाली) स्तर के सामान्य प्रश्न का ज्ञान।

रायपुर, दिनांक 18 मार्च 2013

क्रमांक एफ 1-30/खाद्य/2011/29.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18 मार्च, 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

Raipur, the 18th March 2013

NOTIFICATION

No. F. 1-30/food/2011/29.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules, relating to the recruitment of the Chhattisgarh Legal Metrology Class III (Non-Ministrial) Service, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Chhattisgarh Legal Metrology Class III (Non-Ministrial) Service Recruitment Rules, 2013.
   (2) These rules shall come into force with effect from its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires:
   (a) "Appointing Authority" in respect of a service means the Controller, Legal Metrology Chhattisgarh;
   (b) "Board" means the Professional Examination Board of Chhattisgarh;
   (c) "Committee" means the Departmental Promotion Committee approved by Government;
   (d) "Examination" means the competitive examination/limited competitive examination held for recruitment under the said rule.
   (e) "Government" means the Government of Chhattisgarh;

(g) "Head of Department" means such officer who has been declared the Head of Department for any special office in relation to any Department of the Government;

(h) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government, vide Notification No. F-8-5 XXV-4-84, dated 26th December, 1984;

(i) "Schedule" means the Schedule appended to these rules;

(j) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

(k) "Schedule Tribes" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

(l) "Service" means the Chhattisgarh Legal Metrology Class III (Non-Ministerial) Service;

(m) "State" means the State of Chhattisgarh.

3. **Scope and application.** -Without prejudicc to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service.

4. **Constitution of the service.** - The service shall consist of the following persons, namely:-

(a) Persons, who at the time of commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule-I;

(b) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and

(c) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, scale of pay etc.** - The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that, the Government may, from time to time, add or reduce the number of posts included in the service and pay scale, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of recruitment.**- (1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:-

(a) By direct recruitment on the basis of competitive examination or by selection on the basis of merit and interview;

(b) By promotion on the basis of the limited competitive examination from the ministerial employees of the Chhattisgarh Legal Metrology as specified in scheme mentioned in Schedule-IV.

(2) The number of persons recruited under clause (a) or clause (b) of sub-rule (1) shall not at any time, exceed the percentage as shown in Schedule-II of the number of duty posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment, and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined

on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Appointing Authority, exigencies of the service so requires, the Appointing Authority may, with the prior concurrence of General Administrative Department, adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) For the post to be filled up by direct recruitment on the merit basis, the criteria (norms) shall be prescribed by the Government, however it shall be mandatory for Appointing Authority to constitute a Selection Committee for this purpose, which may adopt any other appropriate norms other than these norms with the consent of the Government.

(6) At the time of recruitment the provisions of Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon aur Anya Pichhade Vargon ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the direction issued by the General Administrative Department from time to time shall also be applicable.

7. **Appointment to the service.-** All appointments to the service after commencement of these rules shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment. -** In order to be eligible to compete at the examination/selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely:-

(I) Age – (a) A candidate must have attained the age prescribed in column (4) of Schedule-III and not attained the age specified in column (5) of said Schedule on the first day of January next following the date of commencement of the examination/ selections;

(b) The upper age limit shall be relaxable up to maximum of 5 years, if a candidate belongs to Scheduled Castes or Scheduled Tribes and Other Backward Classes;

(c) The upper age limit shall be relaxable up to maximum of 10 years to women candidate, as per the provisions of rule 4 of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provisions for Appointment of Women) Rule, 1997;

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates, who are or have been employees of the Government of Chhattisgarh to the extent and subject to the conditions specified below :-

(i) A candidate, who is a permanent/temporary Government servant should not be more than 38 years of age;

(ii) A candidate, holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementation Committee;

(iii) A candidate, who is a "retrenched Government servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all (temporary) service previously rendered by him up to a maximum of 7 years even if it

represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years;

Explanation- The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary Government Service of this State or of any of the constituent units for a continuous period of not less than 6 months and who was discharged because of reduction in establishment not more than 3 years prior to the date of his registration at any employment exchange or application made otherwise for employment in Government Service.

(e) A candidate, who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defense services previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

Explanation- The term "ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than 6 months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than 3 years before the date of his registration at any Employment Exchange or application made otherwise for employment in Government Service:-

(i) Ex-serviceman released under mustering out concessions;

(ii)Ex-serviceman enrolled for the second time and discharged on-

(a) completion of short-term engagement,

(b) fulfilling the conditions of enrolment;

(iii) Ex-personnel of the Madras Civil Units;

(iv) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service Regular Commissioned Officers);

(v) Officers discharged after working for more than 6 months continuously against leave vacancies;

(vi) Ex-servicemen invalidated out of service;

(vii) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(viii) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot wounds etc.

(f) The upper age limit shall be relaxable upto maximum of 2 years in respect of Green Card holder candidates under Family Welfare (Planning) Programme.

(g) The upper age limit shall be relaxable upto maximum 5 years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the Inter-caste Marriage Incentive Scheme of the Scheduled Tribes, Scheduled Castes and Other Backward Classes Development Department.

(h) The general upper age limit shall also be relaxable upto a maximum of 5 years in respect of the Shahid Rajeev Pandey Award, Gundadhur Award, Maharaja Praveerchand Bhanjdev Award holder candidates and National Youth Award holder Young candidates.

(i) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 38 years of age in respect of the candidates who are employees of the Chhattisgarh State/ Corporations/Boards.

(j) The upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guard for the period of Home Guard service rendered so by

them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.

Note- (1) Candidates who are admitted to the examination/ selection under the age concessions mentioned in sub-clause (i) and (ii) of clause (d) above shall not be eligible for appointment, if after submitting the application, they resign from service either before or after the examination/selection. They shall, however continue to be eligible, if they are retrenched from the service or post after submitting the application.

(2) In no other case these age limits be relaxed, departmental candidates must obtain previous permission of the Appointing Authority to appear for the examination/ selection.

(k) In respect of age limit, the direction issued by the General Administration Department from time to time shall also be applicable.

(l) In any case the maximum age to get eligible for Government service shall not exceed 45 years irrespective of age relaxation under one or more than one category mentioned above.

(II) Educational Qualification- The candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule-III.

(III) Fees- The candidate must pay the fees as prescribed by the Board from time to time.

9. Disqualification.- Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority to disqualify him (to candidate) for appearing in the examination/selection.

10. Board's decision about the eligibility of the candidates shall be final.- The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection shall be final and a candidate, to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall be not allowed to appear in the examination / interview.

11.Direct recruitment by examination/selection (Except the promotion from Ministerial Staff).- (1) The Board shall make a selection of eligible candidates.

(2) Selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Controller, Legal Metrology may from time to time, determine.

(3) The selection of candidates for the service shall be made by the Board after examination/ interview.

(4) In filling the vacancies so reserved, the candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12, irrespective of their relative ranks as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes declared by the Board to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of

efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes as the case may be under sub-rule (4).

12. **List of candidates recommended by the Board.-** (1) The Board shall forward to the Controller, Legal Metrology a list arranged in order of merit of the candidates who may have qualified by such standards, as the Board may determine and a list of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes who though not qualified by such standards, but are declared by the Board to be suitable for appointment to the service, with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of the candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Controller, Legal Metrology is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respect for appointment to the service.

13. **Direct recruitment by promotion through limited competitive examination from ministerial employees.-** (1) For filling the posts of Inspectors of Legal Metrology from amongst the ministerial services of the Legal Metrology, a competitive examination in

accordance with the scheme as laid down in Schedule-IV shall be held by the Appointing Authority.

(2) Available vacancies shall be reserved as prescribed percentage for candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes respectively.

(3) In filling vacancies so reserved, the candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred in sub-rule (1) of Rule 12, irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(4) List of suitable candidates recommended for promotion list arranged in order of merit of the candidates, who have qualified by such standards, as prescribed in Schedule-IV and of the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes who though not qualified by that standard but declared by the Appointing Authority to be suitable for promotion with due regard to the maintenance of efficiency of administration, shall be prepared. The list will be in force for one year from the date of its final preparation.

(5) Subject to the provisions of these rules candidates will be considered for promotion to the available vacancies in order in which their names appear in the list.

(6) The inclusion of a candidate's name in the select list confers no right to promotion unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respect for promotion to the service.

14. **Appointment to the service from the select list.-** Appointment of the officials included in the select list shall be made to the post borne on the cadre in the order in which their names appear in the select list.

15. **Probation.-** (1) Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

(2) The person appointed to the post of Inspector shall have to complete successfully the basic training course at the Indian Institute of Legal Metrology, established by the Legal Metrology Act, 2009, before he is considered for confirmation to the post.

16. **Interpretation.-** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government, whose decision thereon shall be final.

17. **Relaxation.-** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner, as may appear to it to be just and proper :

Provided that the case shall not be dealt with, in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

18. **Repeal and saving.-** (1) All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules :

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

(2) Nothing contained in these rules shall affect reservation to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backeard Classes in accordance with the instructions/orders issued by the State Government from time to time in this regard.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIKAS SHEEL, Secretary.

SCHEDULE - I
(See rule – 5)

S.No.	Name of the post included in the service	Total number of posts	Classification	Scale of pay	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Inspector, Legal Metrology	38	Class – III (Executive)	5200-20200 Grade Pay - 2800	Controller, Legal Metrology (Chhattisgarh)

SCHEDULE – II
(See Rule - 6)

S. No.	Name of the Department	Name of the Service/ post	Total Number of duty post	Percentage of the number of post to be filled in	
				By direct recruitment [vide rule 6 (1) (a)]	By promotion from the members in service [vide rule 6(1)(b)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Legal Metrology	Inspector, Legal Metrology Class – III (Non-Ministrial)	38	75 %	25 %

SCHEDULE - III
(See rule – 8)

S.No.	**Name of the Department**	**Name of the Service/post**	**Minimum age limit**	**Maximum age limit**	**Prescribed educational qualifications**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1	Legal Metrology	Inspector, Legal Metrology Class – III (Non-Ministerial)	18 years	30 years (35 years for domicile resident of Chhattisgarh State)	(i)Person shall be a graduate from a recognized University in Science (with physics as one of the subject) or technology or engineering or holds a recognized diploma in engineering with three years of professional experience, and (ii)Is able to read, write and speak regional languages.

Note - Apart from above in respect of age limit, the direction issued by General Administration Department of the Government shall also be applicable.

SCHEDULE – IV

(See rule – 13)

Scheme for promotion through limited competitive examination for the posts of Inspectors, Legal Metrology from amongst the ministerial services.

1. **Title** - The Scheme shall be called, the scheme for promotion to the posts of Inspectors, Legal Metrology through selection from amongst the ministerial staff of sub-ordinate offices of the Controller, Legal Metrology.

2. **Eligibility** - Only such members of ministerial services of Legal Metrology will be eligible for the benefit of this scheme who posses the following qualification, namely :-

   (i) Members, who have been working on any ministerial post in the office of the Controller, Legal Metrology, Chhattisgarh, Raipur or in his sub-ordinate offices any where in Chhattisgarh for at least 5 years in continuous service.

   (ii) For Departmental candidates, where appointment if made by promotion to the post of Inspector, Legal Metrology the minimum educational qualification will be graduate from a recognized University.

   (iii) Members, who shall not be more than 45 years of age on the first day of January of that year, in which selection is made. Members belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribes they shall not be more than 50 years of age limit on the first day of January of that year in which selection is made.

3. **Selection for Promotion will be made on the basis of -**

(i) Marks obtained in the examination held under this scheme, and

(ii) Appraisal of the Character rolls of the employees concerned for the last five years.

4. **Examination -** (i) The Appointing Authority shall hold a written examination every year or at such intervals, on such dates and at such places, as the appointing authority may decide.

(ii) In the written examination there shall be two question papers of 50 marks each and of 2 ½ hours duration. A candidate in order to qualify must obtain at least 50 percent marks in the paper.

(iii) Question papcr shall be set by the Appointing Authority or the authority instructed by him and will cover the subjects specified in Annexure of this Schedule.

(iv) Final list of selection will be prepared according to the total marks obtained in the examination and in the appraisal of Character Rolls. Promotion to the post of Inspector, Legal Metrology will be made against 25% quota, from the list according to the order in which the names appear in the select list.

(v) The inter-se-seniority of the ministerial employees promoted as Inspector, Legal Metrology (in the ministerial services) shall be based on the final list of selection.

5. **Probation-** Every employee appointed under this scheme shall be on probation for two years. During this period, he shall have to undergo the training prescribed for the post of Inspector, Legal Metrology and pass the examination. If an employee is not found

suitable for the post of Inspector, Legal Metrology during probation period, he may be reverted to his original ministerial post. The period of service rendered during the probationary period of such reverted employees will be treated as period of service spent in his ministerial post.

First Question Paper:

General Knowledge, General Hindi and Elementary Arithmetic.

Second Question Paper:

(1) Knowledge of departmental terminology.

(2) Knowledge of Standards of Legal Metrology (Enforcement) Act, 2009 and rules made thereunder and also knowledge about Metric System.

(3) Syllabus for the question papers will be as set out in Annexure, enclosed herewith.

(4) Only those employees who fulfill the qualification laid down in para 2 above will be eligible to appear in the examination. Application from employees desirous of appearing in the examination, will be invited by Appointing Authority or the authority instructed by him at least one month before the date fixed for the examination and out of them only those who are found eligible to appear will be informed of the date, time and place examination.

(5) Evaluation of answer books will be done by officers of Legal Metrology nominated by the appointing authority instructed by him. A list of employees who obtain 50 percent or more of total marks in each question paper will be prepared separately.

6. Appraisal of Character Rolls & Final list of selection-

(i) Confidential Character Rolls of five years of those employees, whose names appear in the list prepared as per para (4) above, shall be appraised by the Departmental Promotion Committee.

(ii) Each candidate will be assigned marks out of 20 marks for each year's Character Roll on the following basis :-

Outstanding	Very good	20
	Good	15
	Ordinary	10

(iii) Total mark assigned to each candidate on the basis of Character rolls, will be posted against marks obtained by him at the examination and total shall be worked out.

ANNEXURE

Syllabus of Question Papers

First Question paper :

(i) General Knowledge (15 Marks)

Questions based on general information related to current events, Indian History, Indian Geography, relevant incidents and general information about Chhattisgarh.

(ii) General Hindi (15 Marks)

Small questions based on the summary of 10-12 lines, different meanings, of similar words, or essay on a certain subject comprising 150 words.

(iii) Elementary Arithmetics (20 Marks)

Questions may be set on the following :-

Multiplication, division, decimal, fractions, percentage profit and loss, average, area, volume, ratio proportion.

Second Question paper :-

(i) Knowledge of Government Rules. (20 Marks)

Questions based on introductory knowledge of rules relating to pay, allowance, leave, General Provident Fund Scheme, General Knowledge of rules of recruitment in service, introductory knowledge of rules relating to conduct of a Government servant.

(ii) Knowledge of Legal Metrology Act. (30 Marks)

Knowledge of the Standards of Legal Metrology Act, 2009 and rules made there under and Standard of general question on Metric System.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, र .दगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.